



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-569 राँची, सोमवार,

22 नवम्बर, 2021 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2021

संख्या-3/उ०अधी०सेवा-17-03/2021-2112--भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन झारखंड उत्पाद सेवा में भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- (i) यह नियमावली "झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2021" कही जायेगी ।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 8 - सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताएं की कंडिका (i) में निम्नांकित प्रावधान हैं-

"शैक्षणिक योग्यता"- संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि या समकक्ष योग्यता होगी ।";

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।’ ’

3. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 8- सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताएं की कंडिका ;पपपद्ध में निम्नांकित प्रावधान है -

“शारीरिक योग्यता- (क) सामान्य/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 162 से.मी. होगी। सामान्य/पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 155 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. होगी।

ख) सामान्य, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से.मी. होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीना का माप नहीं होगा।’ ’ ;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर शारीरिक योग्यता निम्नरूपेण होगी -

क्र०		ऊँचाई	सीना
1	सामान्य वर्ग	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
3	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155 से.मी.	न्यूनतम 79 से.मी.
5	महिलाएं	न्यूनतम 148 से.मी.	मापा नहीं जायेगा

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार ऊँचाई एवं सीने की माप की जायेगी एवं अपेक्षित माप दण्ड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत दूरी की दौड़ पूर्ण करनी होगी -

(i) पुरुषों के लिए - 60 मिनट में 10 कि०मी० की दौड़ ।

(ii) महिलाओं के लिए - 40 मिनट में 05 कि०मी० की दौड़ ।

नोट - 1 - शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्रकृति का होगा ।

नोट- 2 - आयोग जैसा विधि से उचित समझें अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा उसी संस्था/मेडिकल बोर्ड द्वारा संचालित करायेगा, जिसके द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है ।

4. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013 के नियम 10- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (i) में निम्नांकित प्रावधान है -
 “सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की आरक्षणवार अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग ऐसी विधि से जैसा वह उचित समझेगा, विज्ञापन प्रकाशित कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।”;
 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -
 “सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की आरक्षणवार अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग “झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियामवली, 2021” के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा के अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।” सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक दक्षता की जाँच हेतु आयोग रिक्त पदों के विरुद्ध तीन गुणा सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 8 (iii) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सम्पन्न करायेगा। आयोग, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के पश्चात नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आरक्षणवार मेधा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगा।”
5. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013 के नियम 10- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (ii) में निम्नांकित प्रावधान है -
 “आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -
 क) प्रारंभिक लिखित परीक्षा
 ख) लिखित परीक्षा
 ग) साक्षात्कार
 घ) चिकित्सा परीक्षा”;
 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -
 “आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -
 (i) लिखित परीक्षा
 (ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा
 (iii) चिकित्सा परीक्षा
6. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013 के नियम 10- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (iv) में निम्नांकित प्रावधान है -
 “साक्षात्कार - लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आयोग साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जिसमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों का ज्ञान, सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं साकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं विभाग में कार्य करने की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा, परंतु आयोग यदि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की अनिवार्यता को सम्मिलित नहीं करता हो, तो आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप ही चयन किया जायेगा।”;
 को विलोपित किया जाता है।
7. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2013 के नियम 10- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (vi) में निम्नांकित प्रावधान है -

“मेधा सूची - लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग आरक्षणवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा सूची तैयार कर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजेगा, जितनी संख्या में रिक्तियों प्रतिवेदित की गई हो ।”

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“मेधा सूची - लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग आरक्षणवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा सूची तैयार कर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हो ।

सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने की स्थिति (टाई) में वरीयता का आधार जन्म तिथि होगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा का कुल प्राप्तांक एवं उम्र भी एक समान हो, तो पहले स्नातक स्तर में प्राप्त कुल अंक के आधार पर सूची में वरीयता निर्धारित की जायेगी। यदि दोनों अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंक भी समान होते हैं, तो उनकी ऊँचाई के आधार पर सूची में वरीयता निर्धारित की जायेगी ।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, जिनका चयन, अनारक्षित कोटि के तय मानकों के अंतर्गत हुआ हो, उनका समायोजन अनारक्षित कोटि की रिक्तियों के अंतर्गत किया जायेगा। भर्ती के किसी भी स्तर पर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, जिन्होंने आयु, शारीरिक मापदंड में छूट का लाभ लिया है, उनका समायोजन आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध ही किया जायेगा ।

8. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 16- प्रोन्नति हेतु पात्रता निम्न प्रकार होगी की कंडिका (v) में निम्नांकित प्रावधान है-

“आयु अधिकतम 35 वर्ष होना ।”;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“आयु अधिकतम 40 वर्ष होना ।”

9. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 19- सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताएं की कंडिका (i) में निम्नांकित प्रावधान है -

“शैक्षणिक योग्यता”- संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि या समकक्ष योग्यता होगी ।”;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता - अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।

10. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 19- सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताएं/अर्हताएं की कंडिका (iii) में निम्नांकित प्रावधान है -

“शारीरिक योग्यता- (क) सामान्य/पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 165 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊँचाई 162 से.मी. होगी। सामान्य/पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 155 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. होगी ।

- ख) सामान्य, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से.मी. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से.मी. होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीना का माप नहीं होगा।”;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के पदों पर शारीरिक योग्यता निम्नरूपेण होगी -

क्र०		ऊँचाई	सीना
1	सामान्य वर्ग	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
3	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	न्यूनतम 160 से.मी.	न्यूनतम 81 से.मी.
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155 से.मी.	न्यूनतम 79 से.मी.
5	महिलाएं	न्यूनतम 148 से.मी.	मापा नहीं जायेगा

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार ऊँचाई एवं सीने की माप की जायेगी एवं अपेक्षित मापदण्ड पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत दूरी की दौड़ पूर्ण करनी होगी -

- (i) पुरुषों के लिए - 60 मिनट में 10 कि०मी० की दौड़ ।
(ii) महिलाओं के लिए - 40 मिनट में 05 कि०मी० की दौड़ ।

नोट - 1 - शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग ; फनंसपलिपदहद्व प्रकृति का होगा ।

नोट- 2 - आयोग जैसा विधि से उचित समझें अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा उसी संस्था/मेडिकल बोर्ड द्वारा संचालित करायेगा, जिसके द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है ।

11. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 21-आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (i) में निम्नांकित प्रावधान है -

“सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की आरक्षणवार अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग ऐसी विधि से जैसा वह उचित समझेगा, विज्ञापन प्रकाशित कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।”;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की आरक्षणवार अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग “झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियामवली, 2021” के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित कर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस सेवा के मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।” सर्वप्रथम लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी ।

लिखित परीक्षा के उपरांत शारीरिक दक्षता की जाँच हेतु आयोग रिक्त पदों के विरुद्ध तीन गुणा सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 19 (iii) में वर्णित प्रावधानान्तर्गत सम्पन्न करायेगा। आयोग, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के पश्चात नियुक्ति हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आरक्षणवार मेधा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेगा ।"

12. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 21- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (ii) में निम्नांकित प्रावधान है-

“आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

- क) प्रारंभिक लिखित परीक्षा
- ख) लिखित परीक्षा
- ग) साक्षात्कार
- घ) चिकित्सा परीक्षा";

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

- (i) लिखित परीक्षा
- (ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा
- (iii) चिकित्सा परीक्षा

13. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 21- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (iv) में निम्नांकित प्रावधान है -

“साक्षात्कार - लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को आयोग साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जिसमें उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों का ज्ञान, सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं साकारात्मक गुणों की परीक्षा एवं विभाग में कार्य करने की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा, परंतु आयोग यदि चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की अनिवार्यता को सम्मिलित नहीं करता हो, तो आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप चयन किया जायेगा ।”;

को विलोपित किया जाता है ।

14. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 21- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा की कंडिका (vi) में निम्नांकित प्रावधान है -

“मेधा सूची - लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग आरक्षणवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा सूची तैयार कर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजेगा, जितनी संख्या में रिक्तियों प्रतिवेदित की गई हो ।”

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“मेधा सूची - लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग आरक्षणवार रिक्तियों के विरुद्ध मेधा सूची तैयार कर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को भेजेगा, जितनी संख्या में रिक्तियाँ प्रतिवेदित की गई हो ।

सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का प्राप्तांक समान होने की स्थिति (टाई) में वरीयता का आधार जन्म तिथि होगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा का कुल प्राप्तांक एवं उम्र भी एक समान हो, तो पहले स्नातक स्तर में प्राप्त कुल अंक के आधार पर सूची में वरीयता

निर्धारित की जायेगी। यदि दोनों अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंक भी समान होते हैं, तो उनकी ऊँचाई के आधार पर सूची में वरीयता निर्धारित की जायेगी ।

आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, जिनका चयन, अनारक्षित कोटि के तय मानकों के अंतर्गत हुआ हो, उनका समायोजन अनारक्षित कोटि की रिक्तियों के अंतर्गत किया जायेगा। भर्ती के किसी भी स्तर पर आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, जिन्होंने आयु, शारीरिक मापदंड में छूट का लाभ लिया है, उनका समायोजन आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध ही किया जायेगा ।

15. झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम 30- “वार्षिक वेतन वृद्धि - इस संवर्ग के पदाधिकारियों को सरकारी सेवक हिन्दी परीक्षा नियमावली, 1968 के अंतर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम एवं केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के उपरांत ही द्वितीय वेतन वृद्धि देय होगी ।”;

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

“वार्षिक वेतन वृद्धि -इस सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी सेवक हिन्दी परीक्षा नियमावली, 1968 के अंतर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के उपरांत ही द्वितीय वेतन वृद्धि देय होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि अवरुद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी, परंतु बकाया वेतन देय नहीं होगा ।

16. विभागीय अधिसूचना संख्या 1222 दिनांक 08.06.2013 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।
